

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक-17वीं अगस्त 2020

सेवा में,

Rajesh Kumar Shoundik,

Son of Sri Shiv Shankar Shoundik,

Kendua Bazar, Kusunda,

Dhanbad.

विषय:- मौजा-Duhatand, Manaitand, प्लॉट नं०- 1, 360, 361, 362, 363, 364, 365, खाता नं०- 86, 4, 09, 10, वार्ड नं०-29, थाना-47, 49, जिला-धनबाद में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन निर्माण हेतु अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह।

उपर्युक्त विषयक ऑन-लाईन भेजे गये प्लान के अनुसार प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन हेतु प्रभारी अग्निशामालय पदाधिकारी, धनबाद के माध्यम से प्रस्तावित स्थल का भौतिक निरीक्षण कराया गया। उन्होंने अपने ज्ञापांक-246 दिनांक-14.08.2020 के माध्यम से समर्पित स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उसमें की गई अनुशंसा के आलोक में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन हेतु निम्नांकित अग्नि-सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते हैं:-

1. प्रस्तावित आवासीय भवन परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 1,00,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनो को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ-आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित भवनों में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस-बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ प्रत्येक स्टेयरकेस लॉबियों में 150 MM डायामेटर का एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी० लम्बा होज रील होज, 63 MM डायामेटर का डिलिवरी आउटलेट तथा दो-दो अदद डिलिवरी होज एवं एक-एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. प्रस्तावित भवन परिसर में दो यार्ड हाईड्रैण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रैण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक-एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
6. भवनों के बेसमेन्ट को स्वचालित स्प्रिंकलर विथ अलार्मिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि स्प्रिंकलर के एक हेड से दूसरे की दूरी मानक से अधिक न हो।
7. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1650 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
9. 450 Lpm क्षमता वाले एक-एक टेरस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
10. 180 Lpm क्षमता वाले एक जॉकी पम्प का संस्थापन कराया जाय।
11. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
12. पंपिंग सिस्टम पोजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
13. उपर्युक्त भवन के प्रत्येक लिफ्ट को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के०जी० से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
14. मानक के अनुरूप रिफ्यूज एरिया का निर्माण कराया जाय।

15. सेटबैक एरिया NBC मानक के अनुरूप होना चाहिए।
16. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
17. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रेवल डिस्टेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
18. भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से ही कराया जाय।
19. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 कं0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
20. मेन इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
21. भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
22. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 कं0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 कं0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
23. Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कोल प्वाइंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश, लॉबी में हो।
24. भवन में मानक के अनुरूप तडित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
25. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि-सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जाँच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ ही आवेदक अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने से पूर्व एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
26. अग्नि-सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात ही अनापति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
27. भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
28. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया

**BANDHU
ORAON**

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME
JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON,
serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8714d26ac
9cfa87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=833002,
2.5.4.20=1939424e11492aab227f1c7653, baed=baed, nationality=17b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2020.08.17 16:02:37 +05'30'

(बन्धु उराँव)

प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।